भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना-2010

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2010 के लिए पृथ्वी विज्ञान तथा इससे संबंधित विषयों अर्थात (1) समुद्र के सजीव तथा निर्जीव संसाधन (2) गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डिकाएं (3) अंटार्कटिक अनुसंधान (4) समुद्री पर्यावरण- प्रदूषण नियंत्रण (5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल और समुद्र तापीय ऊर्जा रुपांतरण (6) उपग्रह मौसम-विज्ञान (7) जल विज्ञान (8) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विज्ञान (9) कृषि मौसम विज्ञान (10) सुनामी विज्ञान और तूफान महोर्मि (11) जलवायु- विज्ञान (12) ध्रुवीय विज्ञान आदि पर मूल रुप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकें (प्रकाशित) आमंत्रित करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:

प्रथम पुरस्कार	: 50,000/- रुपए
द्वितीय पुरस्कार	: 40,000/- रुपए
तृतीय पुरस्कार	: 30,000/- रुपए

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान लिखी गई प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा । प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पिछले वर्षों के दौरान भेजी गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ पुस्तकों की सात प्रतियां भेजना आवश्यक है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन पत्र तथा योजना के निबंधन और शर्तों से संबंधित विस्तृत सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रुप से सहायक निदेशक(राजभाषा), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक- 12, लोदी रोड, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली- 110003 (दूरभाष- 24306862) से प्राप्त की जा सकती हैं । यह सूचना मंत्रालय की वेबसाइट **http: // www.moes.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

31 जुलाई 2010 के बाद प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

Government of India
Ministry of Earth Sciences

Prithvi Vigyan Mantralay Maulik Pustak Lekhan Yojana - year 2010
Award for writing original books in Hindi

In order to promote original writing in Hindi, Ministry of Earth Sciences invites books (published) originally written in Hindi for the year 2010 on the topics related to Earth Sciences and allied subject such as (1) Living and Non-Living resources of Ocean (2) Polymetallic nodules from deep seabed (3) Antarctic Research (4) Marine Environment- control of pollution (5) Harnessing of wave energy and Ocean thermal power conversion (6) Satellite meteorology; (7) Hydrology; (8) Science related to natural Disasters; (9) Agro-meteorology; (10) Science of Tsunami and storm surge ; (11) Climatology etc; (12) Polar Science;

The Scheme is open to all Indian citizens except officials of the Ministry of Earth Sciences.

There are three prizes under this scheme:

First prize	: Rs. 50,000/-
Second prize	: Rs. 40,000/-
Third prize	: Rs. 30,000/-

Under the scheme books published within the preceding 3 years including the year of the award will only be considered for the prize. Books sent for the same competition in previous years will not be entertained again. Seven copies of the books are required to be sent with application. Details about the terms and conditions and application forms regarding competition can be obtained by post or personally from Assistant Director(O.L), Ministry of Earth Sciences, Mahasagar Bhavan, Block-12, C.G.O complex, Lodi Road, New Delhi -110003, telephone - 24306862. This is also available on the Ministry's Website http://www.moes.gov.in

Books received after 31th July, 2010 will not be considered.

(भारत के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

सं. पृविमं/1/32/2007-रा.भा.

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 2 अप्रैल, 2008

संकल्प

राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसरण में महासागर विकास विभाग ने 'समुद्र विज्ञान' से संबंधित विषयों पर मूल रुप से हिंदी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1989 से "महासागर विकास विभाग पुरस्कार योजना" शुरु की। जुलाई 2006 में पूर्व महासागर विकास मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र (ईआरईसी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) को एक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कर नये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना के कारण प्रचलित स्कीम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार इसके विषयों की सूची में परिवर्तन करने तथा विषय-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए योजना में आंशिक संशोधन किया गया है । संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. योजना का नाम : इस योजना का नाम 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना' होगा ।

2 योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान तथा इससे संबध्द विषयों पर मूल रुप से हिन्दी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है, अर्थात्

(1) समुद्र के सजीव तथा निर्जीव संसाधन ;

(2) गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डिकाएं;

(3) आर्कटिक/अंटार्कटिक अनुसंधान ;

(4) समुद्री पर्यावरण- प्रदूषण नियंत्रण;

(5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल तथा समुद्री ताप ऊर्जा रुपांतरण;

(6) उपग्रह मौसम-विज्ञान;

(7) जल विज्ञान;

(8) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विज्ञान;

(9) कृषि मौसम विज्ञान;

(10) सुनामी विज्ञान और तूफान महोर्मि;

(11) जलवायु-विज्ञान ;

(12) ध्रुवीय विज्ञान आदि

3. पुरस्कार का मूल्य : इस योजना के अंतर्गत मूल रुप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे;

प्रथम पुरस्कार..............रु. 50,000

द्वितीय पुरस्कार............रु. 40,000

तृतीय पुरस्कार ....रु. 30,000

4. मुख्य विशेषताएं : 4.1 इस योजना का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा;

: 4.2 यह योजना अपने नए रुप में वर्ष 2008 से आरंभ होगी और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार केवल स्तरीय पुस्तकों को ही दिए जायेंगे । पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके लेखकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ;

: 4.3 लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव(प्रशा.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत करेंगे। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ अपनी प्रकाशित पुस्तकों की 7 प्रतियां भेजेगें । प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक में कम-से-कम 100 पृष्ठ होने चाहिएं । पुस्तक में उन्हीं तथ्यों को उजागर किया जाए जो प्रामाणिक हों ;

: 4.4 लेखक पुस्तक में अपना बायोडेटा देंगे ; और

: 4.5 पुरस्कार विजेताओं को यात्रा व्यय दिया जाएगा यदि वे सरकारी सेवा में नहीं हैं ।

5.	योजना में भाग लेने के लिए पात्रता	: 5.1 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा इसके संबध्द/अधीनस्थ कार्यालयों/ स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों/पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ;
		: 5.2 इस योजना में केवल प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा। साथ ही पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (ISBN) के तहत पंजीकृत होनी चाहिए ;
		: 5.3 पाठय पुस्तकों, अर्थात सभी पुस्तकें, जो विशिष्ट रुप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं, तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा ;
		: 5.4 जिन लेखकों की पुस्तकों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) बना रहेगा;
		: 5.5 जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका है उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । इस संबंध में लेखक को प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र देना होगा ;
		: 5.6 केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को ही पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियम तैयार करने का अधिकार होगा ;
		: 5.7 जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा वे पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए ;
		: 5.8 जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ;

: 5.9 लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

: 5.10 कोई भी लेखक किसी वर्ष विशेष में इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अगले तीन वर्ष तक इस योजना में भाग नहीं ले सकेगा; और

: 5.11 लेखक अपनी पुस्तक के अंत में उन संदर्भ-स्रोतों की सूची भी देगा, जिनकी सहायता से लेखक ने पुस्तक तैयार की है।

6. साधारण शर्तें

:6.1 यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा :

:6.2 यदि किसी वर्ष में मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक से उस वर्ष के लिए इस पुरस्कार को रोक सकती है:

:6.3 पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा : और

6.4: यह पुरस्कार हर कैलेण्डर वर्ष में एक बार दिया जाएगा और यदि किसी कैलेंडर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे :

7. मूल्यांकन समिति

: 7.1 पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए पुस्तक का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। संयुक्त सचिव (प्रशा.) समिति के संचालक होंगे :

:7.2 इस मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य होंगे यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा :

:7.3 मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों के

विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल कर सकता है । इस प्रकार शामिल किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी ।

:7.4 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा । मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकर होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी :

:7.5 इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा : और

:7.6 मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

8. अन्य बातें : मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :

: 8.1 पुस्तक प्रतियोगी/लेखक ने स्वयं मूल रुप से हिन्दी में लिखी हो। लेखक को इस संबंध में मौलिकता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ;

: 8.2 पुस्तक किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो;

: 8.3 पुस्तक प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो ;

: 8.4 पुस्तक को प्रतियोगी ने मूल रुप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रुप में न लिखा हो ;

: 8.5 पुस्तक प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी में अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी

शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रुप में लिखा हो

: 8.6 पुस्तक लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रुप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी काम-काज के एक भाग के रुप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा अथवा प्रकाशित कराया हो; तथा

: 8.7 पुस्तक किसी सरकारी संविदा के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत लिखी गयी पुस्तक न हो ।

9. योजना में संशोधन का अधिकार : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

कृपया योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय अनुलग्नक में दी गई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन अवश्य करें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों और समाचार अभिकरणों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षरित

(एम.एल.शर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार

.

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,

सं. पृविमं/1/32/2007-रा.भा

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

महासागर भवन, ब्लॉक- 12,

केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी

रोड,

नई दिल्ली- 110003

दिनांक :

<u>आवेदन पत्र</u>

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विषयों से संबंधित हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना'के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1. लेखक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :..

2. जन्म तिथि तथा आयु :..

3 स्थायी पता :..

4. पत्र व्यवहार का पता :..

5. वर्तमान व्यवसाय :..

6. शैक्षिक अर्हताएं :..

7. अनुभव :..

8. मातृभाषा :..

9. प्रस्तावित पुस्तक का शीर्षक :..

10. आईएसबीएन (ISBN) नं. :...

11 पुस्तक का विषय :...

12. पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए है(अर्थात प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूल/ इंटरमिडिएट/स्नातक स्तर/व्यवसायिक जनसाधारण) :...

13. क्या अध्यायवार सारांश संलग्न है ? :........... ....

14. क्या आवेदक को इस पुस्तक के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग अथवा अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता मिली है/मिल रही है? यदि हां, तो :...

:...

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :...

(ख) कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/ प्राप्त होने की संभावना है? :...

(ग) किस वर्ष प्राप्त हुई?

15. क्या इस पुस्तक को भारत सरकार अथवा किसी अभिकरण की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है? यदि हां तो

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :...

(ख) पुरस्कार की राशि :...

(ग) किस वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया :...

16 आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनों का ब्यौरा, यदि कोई हो तो :..

17. कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं :..

18. **घोषणा**

(क) मैने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णत: मान्य है।

(ख) मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कापीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य अधिनियम/कानून, जो भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं करुंगा/करुंगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई मामला आता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी ।

(ग) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :.......................... हस्ताक्षर :

तारीख :.......................... नाम :

फोन : (कार्यालय):
(आवास) :
मोबाइल :
ई-मेल :

<u>अनुलग्नक</u>

योजना संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जिनका अनुपालन न किए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है :

1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं।
2. पुस्तक समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और इससे संबद्ध किसी भी विषय पर लिखी गई हो।
3. पुस्तक स्तरीय एवं पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित हो।
4. पुस्तक कम से कम सौ पृष्ठ की हो और अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (ISBN) के तहत पंजीकृत हो।
5. पुस्तक मूल रुप से हिंदी में लिखी गई हो तथा अन्यत्र कहीं से भी पुरस्कृत न हो।
6. लेखक ने मंत्रालय की इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष में कोई पुरस्कार प्राप्त न किया हो।
7. लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।
8. पाठय पुस्तकों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है।

(To be published in the Extraordinary Gazette of India, part I Section I)

No: MoES/1/32/2007-OL

Government of India
Ministry of Earth Sciences
C.G.O. Complex Lodi Road

New Delhi-110003

Dated- 2 April, 2008

RESOLUTION

In pursuance of the instructions of the Department of Official Language, a Scheme entitled "Mahasagar Vikas Vibhag Puraskar Yojana" was started in 1989 with a view to encourage writing books pertaining to the 'Oceanography' originally in Hindi. In July 2006, the erstwhile Ministry of Ocean Development was re-organised and new Ministry of Earth Sciences came into being by bringing India Metrological Deptt. (IMD), Earthquake Risk Evaluation Centre (EREC), National Centre for Medium Range Wheather Forecasting (NCMRWF), Indian Institute of Tropical Metreorogy (IITM) under the control of the new Ministry. Due to the setting up of the new Ministry of Earth Sciences, it was considered necessary to modify the scheme in vogue. Accordingly, the scheme has been slightly modified to change its nomenclature and enhance the scope. The salient features of the modified scheme are given below.

1. Name of the scheme : The scheme shall be called "Prithvi Vigyan Mantralay Maulik Pustak Lekhan Yojana".

2 Objectives of the Scheme : The Scheme aims at promoting writing of original books in Hindi on the Oceonography, Atmospheric Science and related allied subjects, namely.

(1) The Living and Non-Living Resources of the Ocean ;
(2) The polymetallic nodules from deep sea bed ;
(3) The Arctic/Antarctic Research ;
(4) The marine environment- pollution control ;
(5) Harnessing of wave energy and the ocean thermal power conversion ;
(6) Satellite meteorology;

(7) Hydrology ;

(8) Science related to natural Disasters;

(9) Agro-meteorology;

(10) Science of Tsunami and Storm Surge

(11) Climatology

(12) Polar Science etc.

3. Value of Award : The following prizes shall be awarded for original works in Hindi under the Scheme:

First Prize ....Rs. 50,000

Second prize...................... Rs. 40,000

Third prize......................... Rs. 30,000

4. Salient Features

4.1 The Scheme shall be run by the Ministry of Earth Sciences.

4.2 The Scheme in its new form will commence from the year 2008 and prizes will be awarded for every calender year. Only outstanding books will be awarded. The Ministry of Earth Sciences will invite applications for award of prizes from the authors through publication of advertisements in leading Hindi and English Newspapers;

4.3 The authors shall submit their applications in the prescribed format duly filled in and submit the same to the Joint Secretary (Admn.), Ministry of Earth Sciences Mahasagar Bhavan, Block-12, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003. The applicants shall submit seven (7) copies of their published works along with their

application. Every published book should have atleast 100 pages in which only authentic facts should be highlighted;

4.4 Bio-data must be included in the book by the author; and

4.5 Award winner shall be paid travelling allowance provided they are not in government service.

5.	Eligiblity for participation in the scheme.	5.1 The scheme is open to the Indian Citizens only, The officers/staff working in the Ministry of Earth Sciences and its Attached/Subordinate offices/Autonomous Bodies shall not be entitled to participate.

5.2 Only published works will be considered under the scheme and the book should be registered under International Standard Book Number (ISBN);

5.3 The text books, i.e. the books prepared especially for teaching in classroom and books intended for children will not be eligible for competition.

5.4 The copyright of the authors, whose books are included in the competition, will continue to remain with them for their books;

5.5 The entries submitted on earlier occasions for this competition will not be submitted again. A certificate or undertaking will have to be submitted in this regard by the author;

5.6 The Ministry of Earth Sciences will have the sole right of selecting books for the award and to formulate rules governing such selection;

5.7 The original works should have been published during the last three years including the

year of the award;

5.8 The books once awarded under any other scheme run by the Government of India or State Government or Administration of the Union Territories shall be ineligible for entry under the scheme;

5.9 Any author may submit not more than one entry in each category under the scheme;

5.10 Author, once awarded under the scheme in a particular year, will not be allowed to participate for the next three years; and

5.11 A list of references must be given at the end of the book with the help of which the author has prepared this book.

6. General terms

6.1 If there are more than one author of any prize winning entry, the amount of award shall be equally divided and distributed amongst the authors;

6.2 If during any year, the Evaluation Committee do not find any published work suitable for the award they can withhold the award at their discretion;

6.3 No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize or the procedure regarding the selection of books for the award; and

6.4 The prize will be awarded once in a calendar year and if suitable books are not available for any calendar year, no prize will be awarded for that year.

7. Evaluation Committee.

7.1 For selection of books for the award, evaluation will be done by the Evaluation Committee consitituted for the purpose. Joint Secretary (Admn.) will be convenor of the committee;

7.2 The Evaluation Committee shall consist of five members including the Chairman where the additional members may be co-opted, if considered necessary;

7.3 The Chairman and the members of the Evaluation Committee will be appointed by the Secretary of the Ministry of Earth Sciences. The Chairman of the Evaluation Committee, where necessary, may associate with the committee, the experts in the respective disciplines. The capacity of the experts so associated will only be advisory;

7.4 If any member of the Evaluation Committee wishes to participate in the prize scheme, he will cease to be a member of the Evaluation Committee for that particular year. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no appeal can be made to any authority against it;

7.5 The term of the Committee will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium, as may be fixed, shall be paid to all members including the Chairman of the Evaluation Committee for the work of Evaluation undertaken by him; and

7.6 Non-official members of the Evaluation Committee will be entitled for TA/DA, as admissible under the rules.

8. Other conditions

: Original Hindi books will mean the following:

8.1 The book should have been written originally in Hindi by the Competitor/author. In this regard

		Certificate of Originality is to be produced by the author;
		8.2 The book should not be a Hindi translation rendered by the competitor of any book or written by any author in some other language.
		8.3 The book should not be a Hindi version of any book written in any other language by the competitor himself or by some professional translator ;
		8.4 The book should have not been written by the competitor in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part of his official work;
		8.5 The book should not be a Hindi translation of any book translated either by the competitor himself or by some professional translator which has been written by the author either in English or in any other Indian Language in his official capacity or as a part of his official work;
		8.6 The book should not be an exhaustive/ abridged version or summary prepared by the author or any other person which the author has got written/published in English or in any other language in his official capacity or as part of his official duties; and
		8.7 The book should not be any book written under either any Government contract or under any Governmental scheme.
9	Right to modify the scheme.	: The Ministry of Earth Sciences will have right to modify this scheme.

While applying for the scheme please comply with the important terms and conditions contained in the Annexure.

O R D E R

Ordered that a copy of this resolution be sent to all State Governments , all the Ministries and Departments of the Government of India, all the Universities of India, National Scientific Institutes and News Agencies.

Ordered also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

sd/-

(M.L.Sharma)

Dy. Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager,

Government of India press,

No. MoES/1/32/2007-O.L
Bharat Sarkar/Government of India
Prithvi Vigyan Mantralay/Ministry of Earth Sciences

Mahasagar Bhawan, Block-12, CGO complex, Lodi road,
New Delhi-110003
Date :

Application Form

Form to be filled in by the author for sending their entries under the "Prithvi Vigyan Mantralay Maulik Pustak Lekhan Yojana" being organised by the Ministry of Earth Sciences for writing books originally in Hindi pertainting to the subjects of the Ministry of Earth Sciences.

1.	Full name of the Author (In Bold letters)	:...
2.	Date of Birth and Age	:...
3	Permanent address	:...
4.	Address for correspondence	:...
5.	Present occupation	:...
6.	Educational qualification	:...
7.	Experience	:...
8.	Mother Tongue	:...
9.	Topic of the book	:...
10.	ISBN No.	:...
11.	Subject of the book	:..
12.	Category of the readers group (ie. Primary school/High school/ Intermediate/Graduate level/Professional/ general public	:...

13. Whether chapter-wise abstract is enclosed? :...

14. Whether the applicant received/receiving any grants-in-aid from any other Government Department or agency for this book? If yes,

(a) Name of the Department/Agency :..

(b) Amount of grants-in-aid received/to be received as a financial aid. :..

(c) In which year the amount received :..

15. Has book received any award under any scheme of the Government of India or agency earliar? If yes,

(a) Name of the Department/Agency :............................... ....

(b) Amount of award received :...

(c) For which year the book has been awarded. :..

16. Details of other earlier publications of the Author, if any, :..

17. Any other information which Author wants to give: :..

18. Declaration :

(a) I have read the rules and regulations of this Scheme and I fully agree with them.

(b) I declare that I will not violate the Copyright Act and/or any other such Act/Rule, whichever is applicable. In case any violation of Act/Rule is found against me regarding this book I shall be responsible for the same.

(c) I further declare that details given in the form are correct to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date: Signature

Phone (Office):

(Residence): Name:

(Mobile):

(E-mail):

<u>Annexure</u>

Nomination can be cancelled for non-compliance of important guidelines regarding the scheme.

1. **The scheme is open for the Indian Citizens only except those who are working in Ministry of Earth Sciences or its attached / subordinate offices and autonomous bodies.**

2. **Book should have been written on any of the subjects related to oceanography, atmospheric sciences and related allied subjects.**

3. **Book must be up to the mark and should have been published within the preceding three years including the year of award.**

4. **It should not have less than hundred pages and should have been registered under International Standard Book Number (ISBN).**

5. **It must orignally be written in Hindi and should not have been awarded under any other scheme.**

6. **The author must not have been awarded during the last three years under this scheme of the Ministry.**

7. **Any author may submit not more than one entry in each category under the scheme.**

8. **Text books are not eligible**.